पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 2928
दिनांक-28.12.2025

जोन - उत्तरी/ थाना - महिगवां

- **थाना महिगवां पुलिस द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पीड़िता को किया गया बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा प्राप्त तहरीरी सूचना बावत दिनांक 15.12.2025 की रात्रि में वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को नामित आरोपी रोहित पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम इन्दारा कुटी द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना महिगवां पर 159/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम आरोपी रोहित पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम इन्दारा कुटी थाना महिगवां लखनऊ पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 27.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में विवेचक उ0नि0 अभिषेक राय मय हमराही म0का0 आरती पाण्डेय मय़ उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह सेंगर व उ0नि0 सतीश सिंह के कुम्हरावा चौराहे पर तलाश वांछित वारण्टी सन्दिग्ध वाहन चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 -159/2025 से संबंधित पीडिता व अभियुक्त रोहित पुत्र गोविन्द प्रसाद उपरोक्त के साथ दरियापुर चौराहे पर कहीं जाने के लिये वाहन का इंतजार कर रहे है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 उपरोक्त मय पुलिस बल के पीडिता के परिजनों को सूचित कर दरियापुर चौराहा तथा मुखबिर खास के इशारे पर पीडिता के माता पिता की मौजूदगी में एकबारगी दबिश देकर उपरोक्त लड़का-लड़की को घेरकर रोका तो पीड़िता के पिता ने देखकर बताया कि साहब यही मेरी पुत्री है नामित आरोपी का नाम– पता पूछा गया तो अपना नाम रोहित उर्फ शिवानंद पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम इंदारा कुटी थाना महिगवां लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष बताया ।

और यह भी बताया कि साहब हम दोनो आपस में शादी करना चाहते थे इसलिए साथ में भागे थे रोहित उपरोक्त को उसके जुर्म/धारा से अवगत कराते हुए समय 18.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पीड़िता को हमराही म0का0 की सुपुर्दगी में दिया गया ।

दौराने बरामदगी/गिरफ्तारी आरोपी के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्या0 एवं0 मानवाधिकार के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया। बरामद पीडिता को म0का0 की मदद से थाना हाजा लाकर महिला हेल्प डेस्क में बिठाया गया व अन्य विधिक कार्यवाही की गयी तथा पीडिता को राजकीय बालगृह सिन्धीखेडा पारा लखनऊ में दाखिल किया गया ।

आज दिनांक 28.12.2025 को तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रोहित उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाना तथा उसके साथ दुष्कर्म करना।

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

a) मु0अ0सं0 159/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3 / 4 पाक्सो एक्ट थाना महिगवां जनपद लखनऊ

अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण / व्यवसाय-

1. रोहित उर्फ शिवानंद पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम इन्दारा कुटी थाना महिगवांम लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, (व्यवसाय – ड्राइवरी करता है)

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री रामकुमार गुप्ता (प्रभारी निरीक्षक) थाना महिगवां
2. उ0नि0 श्री अभिषेक राय थाना महिगवां
3. उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना महिगवां
4. उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह सेंगर थाना महिगवां
5. म0का0 आरती पाण्डेय थाना महिगवां

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2926
दिनांक-28.12.2025

जोन- मध्य / थाना- महानगर

- **थाना महानगर द्वारा 01 नफर वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद।**

01.संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.12.2025 को मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109 बीएनएस में वाछिंत चल रहे अभियुक्त प्रिंस बाल्मिकि पुत्र राजकुमार बाल्मिकि नि0 मूलपता -जोशी टोला,मनकामेश्वर मंदिर के पास थाना हसनगंज लखनऊ हालपता-शिवधाम बस्ती बीरबल साहनी मार्ग,न्यू हैदराबाद महानगर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष को जो पीडित की हत्या करने आशय से चाकू मारकर घायल कर फरार हो गया था अभियुक्त प्रिंस बाल्मिकि पुत्र राजकुमार बाल्मिकि उपरोक्त को थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दि0 27.12.25 को ही अभियुक्त को प्रतिभा तीरथ अपार्टमेंट न्यू हैदराबाद थाना महानगर लखनऊ से गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रिंस बाल्मिकि पुत्र राजकुमार बाल्मिकि के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त प्रिंस बाल्मिकि पुत्र राजकुमार बाल्मिकि नि0 मूलपता -जोशी टोला, मनकामेश्वर मंदिर के पास थाना हसनगंज लखनऊ हालपता-शिवधाम बस्ती बीरबल साहनी मार्ग, न्यू हैदराबाद महानगर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष के द्वारा वादिनी के पुत्र को रंजिश की वजह से धारदार हथियार (चाकू) से हत्या करने के आशय से मार कर घायल कर देने के सम्बन्ध में विरुद्ध दिनांक 27.12.2025 को मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महानगर लखनऊ पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रिंस बाल्मिकि पुत्र राजकुमार बाल्मिकि नि0 मूलपता -जोशी टोला,मनकामेश्वर मंदिर के पास थाना हसनगंज लखनऊ हालपता-शिवधाम बस्ती बीरबल साहनी मार्ग,न्यू हैदराबाद महानगर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अरुण प्रताप सरोज थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 प्रवीण पटेल थाना महानगर लखनऊ
3. का0 संतोष कुमार सिंह थाना महानगर लखनऊ
4. का0 राकेश कुमार चौबे थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

क्राइम रिपोर्ट-2025

दिनांक 28.12.2025

वर्ष 2025 में लखनऊ पुलिस ने प्रवर्तन, तकनीक और त्वरित न्याय के समन्वय से संगठित अपराध को कंट्रोल करने में सफल रहे है। 'भयमुक्त राजधानी' का लक्ष्य प्राप्त किया है। 'मिशन शक्ति' और 'स्मार्ट पुलिसिंग' के माध्यम से महिला सुरक्षा, साइबर नियंत्रण और यातायात सुधार में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गई। वीवीआईपी आयोजनों के सफल प्रबंधन और अपराधियों को रिकॉर्ड सजा दिलाने की यह रिपोर्ट हमारी दक्षता और जन-सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

➢ **जघन्य अपराधों पर नियंत्रण-**

- पिछले वर्ष की तुलना में हत्या के अपराधों में **कमी** दर्ज की गई । हत्या जैसे गंभीर मामलों में लखनऊ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुल **525 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में** भेजा गया साथ ही साथ हत्या के 03 व्यक्तियो के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गयी कठोरतम कार्यवाही।
- **डकैती पर पूर्ण अंकुश (Zero Dacoity)** पुलिस की प्रभावी गश्त और 'निवारक रणनीति' (Preventive Strategy) की बड़ी सफलता के रूप में इस वर्ष डकैती की घटना शून्य रही।
- पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुए कुल **110 ईनामी अपराधी गिरफ्तार** किये गये जिनमें **55 अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार** किया, इसमें **03 घायल अभियुक्तों की दौराने इलाज मृत्यु हो गयी।**

➢ **माफिया के विरूद्ध कठोर कार्यवाही-**

- 41 अभियोगो में चिन्हिकरण कर **196 अभियुक्तों के विरूद्ध गैगेस्टर** एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
- 16 अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 4,90,48,035.17/- (चार करोड़ नब्बे लाख अड़तालीस हजार पैतीस रूपये सत्रह पैसे) की अवैध सम्पति कुर्क की गई । **(2020 से अब तक)-** कुल 2,21,65,14,271.63 **(दो अरब इक्कीस करोड़ पैसठ लाख चौदह हजार दो सौ इकहत्तर रुपए तिरसठ पैसे)** की **अवैध सम्पति कुर्क** की जा चुकी है ।
- कुल 217 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत किया गया जिलाबदर।

➢ **ऑपरेशन कन्विक्शन-**

- लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कुल **829 अपराधियों** को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित कराने में सफलता प्राप्त हुयी।
- महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित गंभीर अपराधों में त्वरित पैरवी कर **139 अभियुक्तों** को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई।
- **कठोरतम दण्ड 01 अपराधी** को मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा व **46 अपराधियों** को आजीवन कारावास की सजा।

➤ मिशन शक्ति 5.0 एवं पिंक पुलिसिंग के जरिये महिलाओं को सुदृढ़ व स्वालंबन बनाने का किया गया सफल प्रयास

- महिलाओं की तत्काल सहायता और काउंसलिंग हेतु जनपद में **99 पिंक बूथ पूरी तरह क्रियाशील** हैं।
- प्रभावी निगरानी हेतु प्रत्येक थाने पर **53 मिशन शक्ति केंद्रो की स्थापना** की गई और त्वरित निस्तारण के लिए **53 विशेष सीयूजी (CUG) नंबर आवंटित** किए गए, जिससे जनसंपर्क सीधे बन सके।
- महिला बीट प्रभारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं व बालिकाओं की काउंसलिंग एवं जागरूकता अभियान चलाए गए।
- यूपी-112 ने महिला संबंधी **80,735 शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही** की, जिसका औसत रिस्पॉन्स टाइम **मात्र 08 मिनट** रहा।
- पिंक बूथ द्वारा 2,96,340 लोगों को लगभग 53,244 स्थानों पर जाकर जागरूक किया गया ।

➤ साइबर सेल की तकनीकी श्रेष्ठता

- डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करते हुए साइबर सेल ने प्राप्त 6,456 शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की, जिसकी **निस्तारण दर 90%** रही।
- साइबर ठगों के द्वारा ठगे गये नागरिकों के लगभग ₹11.68 करोड़ (रिफंड + फ्रीज) सुरक्षित किए गए।
- भविष्य में साइबर अपराधों को रोकने हेतु **10,000 से अधिक संदिग्ध मोबाइल** नंबरों और डिवाइस (IMEI) को सफलतापूर्वक **ब्लॉक** कराया गया।
- सोशल मीडिया और डार्क वेब की निरंतर निगरानी के माध्यम से आपत्तिजनक खातों को हटवाया गया और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

➤ यातायात पुलिसिंग के तहत की गयी कार्यवाही

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों 11,64,061 वाहनो का चालान करते हुए व नो पार्किंग में वाहन खड़ा यातायात को प्रभावित करने वाले 2,62,373 वाहनों को चालान किया गया ।
- व्यस्त बाजारों और प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक 'स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' को लागू किया गया है।
- शहर के संवेदनशील पॉइंट्स पर **42 रेसर मोबाइल तैनात** की गई हैं, जो सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुँचकर जाम हटवाना सुनिश्चित करती हैं।
- पीक ऑवर्स के दौरान यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख मार्गों पर कड़ाई से डायवर्जन और वन-वे व्यवस्था लागू की गई है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
- हादसों को रोकने के लिए दुर्घटना संभावित 'ब्लैक स्पॉट्स' को चिन्हित किया गया और वहां तकनीकी पद्धति से विशेष सुरक्षा सुधार किए गए।
- हाई-वे और मुख्य मार्गों पर निरंतर गश्त के माध्यम से तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाया गया है।

➤ महत्वपूर्ण आयोजन:-

- दिनांक **28.11.2025** को महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य का जनपद लखनऊ आगमन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया ।
- दिनांक **01.05.2025** को महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य का जनपद लखनऊ आगमन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया।
- दिनांक **25.12.2025** को मा0प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा लखनऊ आगमन को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया।
- **नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी**: इस 07 दिवस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में देश-विदेश से आए हजारों प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किये जिसे सकुशल संपन्न कराया गया ।
- वर्ष **2025 में इकाना स्टेडियम** और अन्य स्थलों पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट मैचों में त्रुटिरहित सुरक्षा प्रदान की गई।
- **अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट**: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T-20 मैच का सुरक्षित संचालन।
- **IPL 2025**: कुल 08 मैचों का सफल प्रबंधन।
- **UP T-20 League**: 34 पुरुष एवं महिला T-20 के 04 मैचों का आयोजन।
- लखनऊ जनपद में रोजाना लाखों की संख्या में उमड़े दर्शकों और आगंतुकों के बावजूद आधुनिक तकनीक से ट्रैफिक प्लान और सुदृढ़ प्रबंधन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रही।

➤ नशा मुक्त लखनऊ अभियान के तहत-

- युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस ने नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति की श्रृंखला को तोड़ने हेतु त्रि-स्तरीय रणनीति के तहत कार्यवाही की।
- NDPS एक्ट के तहत कुल **145 शातिर तस्करों को गिरफ्तार** कर जेल भेजा गया। जिनके कब्जे से करोड़ों रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जैसे गांजा, कोकीन, स्मैक, अफीम और मारफीन की बड़ी खेप बरामद की गई।
- अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में संलिप्त **187 अभियुक्त गिरफ्तार** किए गए।
- आरोपियों के कब्जे से कुल **31,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद** कर जब्त की गई।

➤ सत्यापन और निवारक कार्यवाही:-

- राजधानी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने हेतु चलाए गए **'ऑपरेशन पहचान'** के अंतर्गत कुल **13,488** किरायेदारों का **शत-प्रतिशत सत्यापन** पूर्ण किया गया।
- सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु UPCOP App और ऑनलाइन पोर्टल का सफल क्रियान्वयन किया गया, जिससे नागरिकों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा मिली।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों द्वारा पहचान छुपाकर निवास करने की संभावना को शून्य करना है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उ0प्र0 शासन की अपराध एवं अपराधियों के प्रति (Zero Tolerance) नीति के तहत कार्य करते हुए प्रभावी न्यायिक पैरवी और जन-केंद्रित सेवाओं के सफल समन्वय से न केवल अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा है, बल्कि नागरिकों के मध्य सुरक्षा और भरोसे का वातावरण और अधिक सुदृढ़ हुआ है। लखनऊ पुलिस भविष्य में भी 'सुरक्षा, सेवा और सुशासन' के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराती है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2927
दिनांक 28.12.2025

जोन- दक्षिणी / थाना- गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा अभियान के तहत 17 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व **श्री निपुण अग्रवाल** पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन व **श्री रल्लापल्ली वसन्थ कुमार** अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व **श्री ऋषभ यादव** सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं **श्री डी.के. सिंह** प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज के कुशल नेतृत्व में **उच्चाधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अन्तर्गत कुल 17 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।**

02-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय से अभियान को सफल बनाने हेतु कुल 04 टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त वारण्टी अभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा बार-बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिनके विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। थाना स्थानीय से गठित 04 पुलिस टीमों द्वारा **कुल 17 नफर वारण्टी अभियुक्तों** को उनके घर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. **SHO श्री डी.के. सिंह (प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज)**
2. उ0नि0 श्री विक्रान्त सिंह
3. उ0नि0 श्री अनुराग पाण्डेय
4. उ0नि0 श्री आशीष बालियान
5. उ0नि0 श्री भुवाल सिंह
6. उ0नि0 श्री बिपिन प्रताप सिंह
7. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव
8. उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।
- ***डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल***
- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 28.12.2025

मिशन शक्ति: डालीगंज क्रॉसिंग पर महिला सशक्तिकरण का संदेश

थाना मदेयगंज की टीम द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर जाकर राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक बूथ एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पिंक बूथ उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 अर्चना पटेल लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 आंचल सिंह लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सुमन थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्र डालीगंज क्रॉसिंग

प्रतिभाग-

- डालीगंज क्रॉसिंग, मदेयगंज पर करीब 20- 25 महिलाए व बच्चे

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.12.2025 को थाना मदेयगंज क्षेत्र के मिशन शक्ति अभियान के तहत डालीगंज क्रॉसिंग पर जाकर जाकर करीब 25- 30 महिलाओ (महिलाओं और बच्चो) को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी-(यूपी कोप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।